

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़
(पीठासीन अधिकारी राम लाल मीना)

राजस्व वाद संख्या 74/2025

अन्तर्गत धारा 88, 188, 207, 209 रा0का0अधि0

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
अली खान पुत्र जारू खां, जाति-मुसलमान, नि0 देताणी तह0 गडरारोड़		1. जारू खान पुत्र रेहमता खां वगैरा (14)

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
--------	---------------------------------	---

11/9/25 वादीनी के वकील श्री ईश्वरसिंह भाटी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 207, 209 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब होकर।

पत्रावली आईदा दिनांक 28/10/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.), गडरारोड़

28/10/25 पत्रावली पेश हुई

वकील अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में जोर देकर पत्रावली के अतिरिक्त कार्यवाही की कार्रवाई चाहे ही किंतु उक्त पत्रावली को इसी स्तर पर जरिये सिद्धे स्वार्थिज सिद्धे कामे का निवेदन किया गया पर पत्रावली को इसी स्तर पर जरिये सिद्धे स्वार्थिज की जाती है।

पत्रावली प्रेषण अंगुल दोष

दरियेक पत्र हो।

राम लाल मीना

सहायक कलक्टर
गडरारोड़

Note/press

by me

राम लाल मीना

(वकील भाटी)

